न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या –18, गाजियाबाद ।

सत्र वाद संख्याः 98 / 2020

सरकार बनाम रोहित कुमार गुप्ता एवं अन्य

मु०अ०सं० 1918/ 2019

अन्तर्गत धाराः 302,120B, 34 भा० दं० सं०

थानाः कविनगर, जिलाः गाजियाबाद।

निस्तारण उन्मोचन प्रार्थना पत्र

प्रार्थी/ अभियुक्त वीरू की तरफ से उन्मोचन प्रार्थना पत्र 30 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे उपरोक्त केस में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त को प्रथमसूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया है। उक्त घटना का कोई स्वतन्त्र/ चश्मदीदी साक्षी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रथमसूचना रिपोर्ट घटना के करीब 7 घण्टे 27 मिनट की देरी से लिखाई गयी है तथा थाने से घटना स्थल की दूरी 3 कि०मी० है और देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त को पुलिस के समक्ष दिये गये स्वयं के इकबालिया बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी / अभियुक्त का कोई हेतुक घटना कारित करने के सम्बन्ध में नहीं दर्शाया गया है। अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त केस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुयी है और ना ही उसे हत्या कारित करते हुये किसी व्यक्ति ने देखा है। प्रार्थी/ अभियुक्त 63 वर्षीय वृद्ध व बीमार व्यक्ति है और उसका प्रश्नगत घटना से किसी भी प्रकार का कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त की सह– अभियुक्तगण से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध अथवा रिश्तेदारी नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त की वादी मुकदमा या मृतक से कोई भी रंजिश नही थी और न ही अभियुक्त वादी एवं मृतक की जाति का है। प्रार्थी/ अभियुक्त की कोई काल डिटेल (सी० डी० आर०) पुलिस द्वारा नहीं निकाली गयी है। प्रार्थी/ अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात वादी मुकदमा या किसी भी साक्षी से कोई कार्यवाही शिनाख्त नहीं करायी गयी है। किसी भी अभियोजन साक्षी ने सम्पूर्ण विवेचना में प्रार्थी/ अभियुक्त को घटना स्थल पर देखा जाना नहीं बताया गया है। प्रार्थना की गयी कि प्रार्थी/ अभियुक्त वीरू को धारा 302,120B भा० दं० सं० के आरोप से उन्मोचित किये जाने का आदेश पारित किया जाये।

उक्त उन्मोचन प्रार्थना पत्र के विरूद्ध वादी की ओर से लिखित आपत्ति 36 ख दाखिल कर कथन किया गया है कि अभियुक्त वीरू की ओर से उन्मोचन प्रार्थना पत्र मात्र मामलें को लम्बा खींचने हेतु दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना के दौरान यह साक्ष्य आया है कि मृतक अमित सेठ का अभियुक्त रोहित के साथ लेनदेन था तथा 96,00,000/– रूपये रोहित गुप्ता को मृतक अमित सेठ को देने थे, जिसकी बावत रोहित गुप्ता ने एक रसीद लिखकर दी तथा उसमें लिखा कि उसे उस पर ब्याज भी देना है तथा इसके साथ – साथ एक चेक नम्बर 000008 पंजाब सिध बैंक राजनगर का बतौर

सिक्योरिटी भी दिया। इस देनदारी से बचने हेतु अभियुक्त रोहित गुप्ता ने मृतक अमित सेठ को जान से मारने हेतु अभियुक्त सुन्दर से सम्पर्क किया। अभियुक्त सुन्दर ने अभियुक्त वीरू से सम्पर्क किया तथा अभियुक्त वीरू ने अभियुक्त रोहित गुप्ता का अभियुक्त आकाश से सम्पर्क कराया तथा अभियुक्त आकाश ने अमित सेठ का कत्ल करने के लिये अभियुक्त पवन तथा सागर को तैयार कर लिया। अभियुक्त रोहित गुप्ता ने अभियुक्तगण आकाश, पवन, सागर को अमित सेठ का घर दिखाया। दिनांक 24–09–2019 को अभियुक्त सागर, पवन, आकाश ने मृतक अमित सेठ के घर के पास रेकी की, जिसकी पुष्टि सी०सी०टी०वी०फुटेज से होती है। अभियुक्तगण पवन व आकाश हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस द्वारा इकटठा की गयी साक्ष्य में अभियुक्त वीरू का अमित सेठ के कत्ल के षडयन्त्र में शामिल होना साबित है। प्रार्थना की गयी अभियुक्त वीरू का प्रार्थना पत्र खण्डित किया जाये।

प्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता –फौजदारी के तर्को को सुना गया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/ अभियुक्त अन्य अभियुक्तगण के साथ दिनांक 17–10–2019 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय मौके पर ही घटना के चश्मदीद साक्षी वादी मुकदमा अश्वनी सेठ व उसका भान्जा सार्थक वहां पर आ गये तथा पकडे गये शूटरों को मौके पर ही देखकर पहचान लिया कि यही वे शूटर है जो घटना वाले दिन अपाचे मोटर साईकिल पर सवार होकर आये थे तथा वादी के भाई को गोली मारकर भाग गये थे। अभियुक्त रोहित गुप्ता ने अपने बयान में कथन किया है कि मृतक अमित सेठ के साथ उसका पैसे का लेनदेन था तथा उस पर मृतक अमित का करीब 96,00,000/–रूपया उधार हो गया था और मुझ पर पैसे का दबाब बना रहा था तब मैनें सुन्दर पाल से सम्पर्क किया। सुन्दरपाल ने मुझे डेढ माह पूर्व ही हापुड में अभियुक्त वीरू से सम्पर्क कराया था तथा वीरू ने पवन, आकाश व सागर को बुला लिया। हापुड में ही मैनें सुन्दरपाल, वीरू के साथ मिलकर अमित सेठ की हत्या का षडयन्त्र बनाया था तथा सौदा पाँच लाख रूपये में तय हुआ था। केस डायरी के पर्चा 17 में विवेचक ने अभियुक्तगणों के मोबाईल नम्बरों की सी०डी० आर० एवं सभी नम्बरों की सी०ए०एफ० प्राप्त करने का आवेदन किया है। केस डायरी के पर्चा नं० 21 में उक्त सी०डी०आर० के अवलोकन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा हत्या का षडयन्त्र कारित किया जाना बताया गया है। विवेचक ने केस डायरी के पर्चा 24 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि मृतक अमित सेठ की हत्या की घटना कारित करते समय घटना वाले दिन व घटना से एक दिन पूर्व विभिन्न स्थानों पर लगे सी० सी० टी० वी० कैमरों में कैद हुयी अभियुक्तगण की फोटो व घटना में प्रयुक्त की गयी अपाचे मोटर साईकिल की फुटेज के आधार पर तैयार फोटो से स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि अभियुक्तो द्वारा रेकी कर, घटना को अन्जाम दिया गया है। पत्रावली पर सी० सी० टी०वी० फुटेज की फोटो व सी० डी० उपलब्ध है।

स्टेट आफ तमिलनाडु बनाम एन. सुरेश राजन एवं अन्य, 2014(84) ए सी सी 656 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि आरोप के स्तर पर न्यायालय को गहराई से यह नहीं देखना है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है। *श्रीनारायण उर्फ पिलादी एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं अन्य 2015 (88) ए.सी.सी. 703* में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि अपराध कारित करने में यदि गम्भीर संशय (Strong Suspicion) हो, तो भी आरोप विरचित किया जा सकता है। *औंकार नाथ मिश्रा एवं अन्य बनाम राज्य, एन.सी.टी. दिल्ली एवं अन्य 2008(1) एस एफ सी 544(सुप्रीम कोर्ट)*में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप विरचित किये जाने के स्तर पर न्यायालय से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के प्रमाणिक मूल्य की गहन जाँच करना प्रत्याशित नहीं है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा *प्रभुनाथ यादव बनाम उ०प्र० राज्य 2008(60) ए.सी.सी. 59 (इलाहाबाद)*में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप के स्तर पर न्यायालय को नहीं देखना है कि अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है या नहीं। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा *जयप्रकाश एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू० पी० एवं अन्य, 2011 (2) जे० आई० सी० 702 (इलाहाबाद)* में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप के स्तर पर सूक्ष्म अवलोकन की आवश्यकता नहीं है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा *कुंवरपाल एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू० पी०, 2011(2) जे० आई० सी० 499 (इलाहाबाद)* में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप के स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया केस देखा जाना चाहिए, न कि इस स्तर पर साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

उपरोक्त विधि सिद्धान्तों के दृष्टिगत पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विवेचना में एकत्रित साक्ष्य से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अभियुक्त वीरू ने अभियुक्त रोहित गुप्ता का अभियुक्त आकाश से सम्पर्क कराया तथा अभियुक्त आकाश ने अमित सेठ का कत्ल करने के लिये अभियुक्त पवन तथा सागर को तैयार कर लिया। अभियुक्त रोहित गुप्ता ने अभियुक्तगण आकाश, पवन, सागर को अमित सेठ का घर दिखाया। इस प्रकार पत्रावली अभियुक्त वीरू के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने वादी की तरफ से प्रस्तुत ऐतराज पर तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि उपरोक्त ऐतराज सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता – फौजदारी द्वारा सबमिट नहीं है और इस कारण इसे विचार में नहीं लिया जा सकता। इसी आधार पर अभियुक्त की तरफ से एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 301 दं० प्र० सं० क्रमांक 40 ख पर दाखिल किया गया है, जिसमें याचना की गयी है कि प्राईवेट अधिवक्ता को बहस करने से प्रतिबन्धित किया जाये। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा की तरफ से प्रस्तुत वकालतनामा को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने सबमिट किया है तथा न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वादी मुकदमा की तरफ से प्रस्तुत ऐतराज का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त सहायक जिला शासकीय

अधिवक्ता (फौजदारी) की तरफ से वादी मुकदमा की तरफ से प्रस्तुत ऐतराज 36ग को सबमिट करने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसे न्यायालय द्वारा न्यायहित में स्वीकार किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पपत्र अन्तर्गत धारा 301 दं० प्र० सं० स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

पुनः अभियुक्त वीरू की तरफ से एक अन्य प्रार्थना पत्र दिनांकित 30–03–2021 अन्तर्गत धारा 91 दं० प्र० सं० प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभियुक्त वीरू के उन्मोचन प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व मोबाईल नम्बर 9911324712 तथा 7777000219 के सी०डी०आर० व थाना कविनगर की दिनांक 17–10–2019 सुबह 4.00 बजे से 2.00 बजे तक की सी०सी०टी०फुटेज तलब की जाये। यहां पर उल्लेखनीय है कि अभियुक्त पक्ष की तरफ से एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 दं० पर०सं० विद्वान पूर्वाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय ने आदेश दिनांकित 27–01–2021 द्वारा निरस्त कर दिया है। पुनः उसी आशय का प्रार्थना पत्र अभियुक्त वीरू की तरफ से प्रस्तुत किया गया है, जिसे पुनः स्वीकार किये जाने का इस स्तर पर कोई न्यायसंगत आधार उपलबध नहीं है। विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि आरोप विरचन के समय अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों पर ही विचार किया जाना होता है। अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्य इस स्तर पर विचारणीय नहीं होते है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *उडीसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पाधी,2005 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेज (क्रिमिनल) 566* में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप विरचित किये जाने के स्तर पर अभियुक्त की प्रतिरक्षा सुसंगत नहीं होती है। पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय ने हेमचन्द बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड, ए०आई०आर० 2008 SC 1903 में भी प्रतिपादित किया है कि अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यो को विचार में नहीं लिया जाना चाहिये।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व विधिक सिद्धान्तों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो की दृष्टिगत अभियुक्त वीरू की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 दं० प्र० सं० दिनांकित 30–03–2021, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 301 दं० प्र० सं० दिनांकित 12–03–2021 तथा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र 30ख दिनांकित 09–02–2021 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अभियुक्त वीरू की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 दं० प्र० सं० दिनांकित 30–03–2021, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 301 दं० प्र० सं० दिनांकित 12–03–2021 तथा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र 30ख दिनांकित 09–02–2021 निरस्त किये जाते है। पत्रावली वास्ते विरचन आरोप दिनांक 13–04–2021 को पेश हो।

दिनांकः 31–03–2021

(राकेश कुमार VII)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या –18,गाजियाबाद।

Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2021.04.01 05:13:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court